भारत सरकार / Govt of India
रक्षा मंत्रालय / Min of Defence
रक्षा लेखा नियंत्रक, नं.1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 009
Controller of Defence Accounts
No.1, Staff Road, Secunderabad - 09
(ई-मेल/email: secd-stsn-cda@nic.in)
(वेबसाइट / website : cdasecbad.ap.nic.in)
दूरभाष/Tel: 040-27843385/Ext-209 फैक्स/Fax: 040-27810499

सं. /No. S/II/0702/Gen Corr/Vol-I

दिनांक/dt. 27th July 2021.

हर काम देश के नाम

कृपया पत्राचार पदनाम से करें न कि अधिकारी के नाम से।
Please address all correspondence by designation & not by name

पेड़ बचाएँ, पर्यावरण बचाएँ
SAVE TREES. SAVE ENVIRONMENT.
ई-मेल द्वारा तीव्र पत्राचार के लिए कृपया यूनिट का **gov / nic** ई-मेल पता सूचित करें ।
Pl furnish **gov / nic** mail id of the Unit for faster correspondence through mail.

सेवा में / To,

Comdt, MC, EME Secunderabad	DGNP, Naval Base, Visakhapatnam - 14	GOC, HQrs TASA, Secunderabad
GOC, HQrs 54 Inf Div PIN-908454	Comdt, CDM, Secunderabad	DQA (R&S) DGQ A Complex Secunderabad

विषय : विक्रेताओं के एम.एस.एम.ई. विवरण का प्रेषण ।
Sub : Submission of MSME details of Vendors

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रचार तथा विकास को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के समय एम.एस.एम.ई. द्वारा निर्मित और प्रदत्त सुविधाओं को अधिमान देने का निदेश दिया है ।/For facilitating promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Govt of India notified, from time to time, preference policies in r/o procurement of goods and services produced and provided by MSMEs by its ministries and departments.

2. एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार, जब कोई आपूर्तिकर्ता, किसी भी खरीदार को किसी भी सामान की आपूर्ति करता है या कोई सेवाएँ प्रदान करता है, खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित रूप में सहमति की तारीख को या उससे पहले खरीदार उसका भुगतान करेगा । यदि नियत तारीख को इस संबंध में कोई लिखित समझौता नहीं है और आपूर्ति की अवधि के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में किसी भी मामले में आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच लिखित रूप में सहमति की अवधि स्वीकृति के दिन से पैंतालीस

दिनों से अधिक नहीं मानी जाएगी । /As per section 15 of MSME Act 2006, where any supplier supplies any goods or renders any services to any buyer, the buyer shall make payment therefor on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing or, where there is no

agreement in this behalf, before the appointed day: Provided that in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed forty-five days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance.

3. एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार, जब कोई खरीदार आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान करने में विफल होता है, जैसा कि धारा 15 के तहत आवश्यक है, खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच किसी भी समझौते में शामिल होने के बावजूद अथवा उस समय लागू किसी भी कानून के होते हुए भी, खरीदार नियत दिन से या जैसा भी मामला हो, मासिक अंतराल पर भुगतान की राशि पर रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक के ब्याज दर का तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा । Section 16 of the MSME Act provides that where any buyer fails to make payment of the amount to the supplier, as required under section 15, the buyer shall, notwithstanding anything contained in any agreement between the buyer and the supplier or in any law for the time being in force, be liable to pay compound interest with monthly rests to the supplier on that amount from the appointed day or, as the case may be, from the date immediately following the date agreed upon, at three times of the bank rate notified by the Reserve Bank.

भारत सरकार समय-समय पर जारी रिपोर्टों के माध्यम से उपरोक्त पहलुओं को मोनीटर करती है । अतः, आपसे अनुरोध है कि इकाइयाँ और रचनाएँ समय-समय पर जिन उद्यमों से भंडार/सेवाएँ खरीद रही हैं कृपया उनके एम.एस.एम.ई. विवरण तथा एम.एस.एम.ई. पंजीकरण की प्रति भेजें ताकि इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त डाटा का संकलन किया जा सके और मंत्रालय को उचित माध्यम से आवधिक रिपोर्टें भेजी जा सकें । साथ ही यह भी अनुरोध है कि यदि विक्रेता "एम.एस.एम.ई" के अधीन वर्गीकृत है तो बिल पर "MSME" को मुद्रित करके भेजें । GoI through various reports and returns initiated from time to time is monitoring the above aspects. It is, therefore, requested to furnish the MSME details, including copy of MSME registration, of the Firms from whom the Units and Formations are procuring stores / services from time to time to enable this office to compile the data and furnish periodical reports to Ministry through proper channel. It is also requested if bills furnished may be stamped as "MSME", if vendor is from such category/such an enterprise.

रक्षा लेखा नियंत्रक महोदय द्वारा अनुमोदित / This issues with the approval of CDA.

राम नारायण चारी . के

(के. राम नारायण चारी / K. Ram Narayana Chary)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (भंडार/ विविध/ जेम) / Senior Accounts Officer (Stores/Misc/GeM)

<u>प्रतिलिपि /Copy to:</u>

• Station Commander, Station Headquarters Cell, Bollarum, Secunderabad	-	सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए । for information and necessary action pl.
• Commdt, AOC Centre PIN- 900453	-	-do-
• Commdt, 1 EME Centre, Secunderabad	-	-do-
• Commdt, Artillery Centre, Hyderabad	-	-do-
• Cdr, 76 Inf Bde, PIN - 908076 C/o 56 APO	-	-do-
• Cdr, 47 Inf Bde, PIN – 908047, C/o 56 APO	-	-do-
• Cdr, 54 Arty Bde PIN - 926954 C/o 56 APO	-	-do-
• Comdt. SDD PIN-900453	-	-do-
• DDG, NCC Dte T & AP Area, Secunderabad	-	-do-
• SAO i/c I IT Section, Local	-	कृपया र.ले.नि., की वेबसाइट पर अपलोड करें with a request to upload in CDA website.

राम नारायण चारी. का

(के. राम नारायण चारी / K. Ram Narayana Chary)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (भंडार/ विविध/ जेम) / Senior Accounts Officer (Stores/Misc/GeM)